

(नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाए।)

त्रिपक्षीय करार

यह करार आज सन् के के
..... दिन को

1. प्रथम पक्ष के श्री/श्रीमती पुत्र (पुत्री श्री)
..... निवासी
(नाम और पता) (जिसे इसमें आगे ऋणी कहा गया है जिसमें संदर्भ के विरुद्ध न होने पर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समानुदेशिती शामिल होंगे।)

2. दूसरे पक्ष के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (जिसे इसमें आगे संगठन कहा गया है) जो सोसायटी सन् 1860 के पंजीकरण अधिनियम गम्प के अंतर्गत दिनांक 17.07.1990 की पंजीकरण संख्या एस/21181 द्वारा जुलाई, 1990 में पंजीकृत हुआ, जिसका पंजीकृत कार्यालय, के.स.क.क.आ.सं. जनपथ भवन, छठा तल, 'ए' विंग, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 (जिसे इसमें आगे संगठन कहा गया है) जिसमें संदर्भ के विरुद्ध न होने पर इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और समानुदेशिती शामिल होंगे।

3. तृतीय पक्ष के
..... (बैंक का नाम)
जिसका गठन बैंक अधिनियम
..... के अंतर्गत एक
निकाय निगम के रूप में किया गया है, जो स्थित
(जिसे इसमें बैंक कहा गया है) अपनी एक शाखा द्वारा प्रतिनिधित्व कर रही है जिसकी अभिव्यक्ति के संदर्भ विरुद्ध न होने पर इसमें इसके समानुदेशिती प्रशासक और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
के मध्य किया गया।

4. और जबकि ऋणी को दिनांक के करार, जिसमें ऋणी को आबंटन की शर्तों के अंतर्गत संगठन को एक मुश्त/किश्तों का भुगतान करना है, के अनुसार संगठन द्वारा बनाए जाने वाले फ्लैटों में स्थित आवास/फ्लैट
..... (पंजीकरण संख्या) आबंटित किया गया है और जबकि ऋणी ने संगठन से आवास/फ्लैट क्रय करने के लिए आवास ग्रहण हेतु बैंक द्वारा बनाए गए प्रावधानों से सहमत है। इसलिए बैंक अन्य बातों के साथ-साथ ऋणी द्वारा अन्य प्रतिभूतियां, उक्त आवास/फ्लैट को गिरवी रखने की शर्त पर ऋणी को रुपये का ऋण (जिसे इसमें आवास/फ्लैट क्रय करने के लिए आवास ऋण कहा गया है) संस्वीकृत करने को सहमत हो गया है और संगठन इस शर्त की अनुपालना के लिए ऋणी/बैंक की सहायता करने के लिए सहमत हो

गया है और पट्टाकर्ता से और अथवा अन्य व्यक्ति/प्राधिकरणों से जैसी भी आवश्यकता है, से गिरवी रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया है।

5. और जबकि ऋणी और बैंक ने आवास/फ्लैट क्रय करने के लिए आवास ऋण के संबंध में शर्तें शामिल करते हुए एक ऋण करार किया है/के लिए सहमत हुए हैं।

6. और जबकि ऋणी ने कहा है कि वह इसकी लागत का पूर्ण भुगतान होने तक उक्त आवास/फ्लैट को गिरवी नहीं रखेगा और संगठन ने ऋणी को उक्त संस्वीकृत ऋण के लिए उक्त आवास/फ्लैट आबंटित किया है।

और जबकि ऋणी ने बैंक से इस करार के कारण से अभी, इस आवास/फ्लैट को गिरवी रखने में असमर्थ होने के बावजूद ऋणी को उक्त संवितरित करने का अनुरोध किया है।

ये पक्ष नीचे लिखी निबंधन एवं शर्तों से सहमत है कि:

1. ऋणी, संस्वीकृत ऋण सीधे ही संगठन को संवितरित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करता है और के.स.क.क.आ.सं. को किया गया ऐसा भुगतान ऋणी को किया गया भुगतान माना जाएगा एवं प्रत्येक स्थिति में ऋणी की ओर से संगठन को संवितरित किए गए ऋण के भुगतान के लिए ऋण जिम्मेदार होगा जैसे कि ऋण सीधे ऋणी को ही संवितरित किया गया हो। यदि संगठन को भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब होता है तो इसे ऋणी की चूक माना जाएगा और ऋणी संगठन की आबंटन की शर्तों और नीति के अनुसार संगठन को ऐसे विलंबित भुगतान पर जुर्माने/ब्याज के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

2. संगठन ऋणी का पृथक खाता रखेगा और ऋणी के पक्ष में आबंटित उक्त आवास/फ्लैट की लागत के लिए बैंक से प्राप्त भुगतान का समायोजन करेगा।

3. संगठन एतद्वारा स्वीकृति देता है कि बैंक का आवास/फ्लैट पर धारणाधिकार होगा और ऋणी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत के रूप में आवास/फ्लैट रख सकता है और बैंक के पक्ष में उक्त आवास/फ्लैट का बंधकपत्र बनवा सकता/ती है।

4. ऋणी वचन देता है कि कब्जे के पश्चात विक्रय विलेख/पट्टा विलेख के निष्पादन पर ऋण उक्त विलेख को सीधे बैंक को दे देगा।

5. आवास/फ्लैट, बैंक द्वारा संस्वीकृत आवास ऋण की प्रतिभूति का भाग होगा और संगठन जैसे ही विक्रय विलेख/पट्टा विलेख निष्पादित करता है ऋणी आवास/फ्लैट क्रय करने के लिए आवास ऋण हेतु बैंक के पक्ष में बैंक के बताए अनुसार बंधकपत्र बनवाएगा/बनवाएगी।

6. यदि किसी कारण से संगठन द्वारा आवासीय ईकाई की लागत में वृद्धि/बढ़ोतरी की जाती है तो ऋणी उनके मध्य हुए करार के अनुसार बैंक के बिना किसी संदर्भ के जैसा भी मामला हो, उस राशि का

भुगतान करेगा/वहन करेगा और जब तक ऐसे भुगतान नहीं कर दिए जाते हैं तो बैंक को ऋणी के पक्ष में संस्वीकृत ऋण की पेश किशतें रोकने का अधिकार होगा।

7. ऋण की अवधि में संगठन बैंक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को आवास/फ्लैट हस्तांतरित नहीं करेगा।

8. किसी भी कारण से यदि प्राधिकरण ऋणी के आबंटन को रद्द कर देता है तो संगठन के.स.क.क.आ.सं. के नियमों के अनुसार प्राप्त पूरी राशि बैंक को लौटा देगा।

9. संगठन बैंक में लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना ऋणी को आबंटन पत्र और कब्जा पत्र की अनुलिपि जारी नहीं करेगा।

10. ऋणी द्वारा चूक के मामले में बैंक अपने विवेकानुसार संगठन से परामर्श कर किसी व्यक्ति को विक्रय कर प्रतिभूति का प्रवर्तन कर सकता है तथा इस संबंध में संगठन की आवश्यक अपेक्षाओं का क्रेता द्वारा अनुपालन करने के बाद, संगठन को ऋणी के स्थान पर आवास/फ्लैट की खरीद को स्वीकृत करना होगा, जो संगठन के नियमों के अनुसार फ्लैट/आवासीय ईकाई प्राप्त करने का पात्र होगा।

साक्ष्य स्वरूप पक्षों ने दिनांक माह और वर्ष ऊपर पहले लिखे इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

पंजीकरण संख्या

ऋण का पता

.....

(ऋणी के हस्ताक्षर)

साक्षी

(हस्ताक्षर पूरे नाम और पते के साथ)

1.

2.

संगठन की ओर से हस्ताक्षर

साक्षी

(हस्ताक्षर पूरे नाम और पते के साथ)

1.

2.

बैंक की ओर से हस्ताक्षर

साक्षी

(हस्ताक्षर पूरे नाम और पते के साथ)

1.

2.